बाद सिने से बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ
प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब हों। पत्रावली वास्ते जवाब
दि. 22-2-21 को पेश हों

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

22-2-21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी (विपक्ष) प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री जगदीश द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर कहते हैं कि प्रार्थी श्री किरण सिंह पिता हिम्मत सिंह का भूतपूर्व सरपंच किरण सिंह ही है। जबकि ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत सत्र 2075-2078 के कार्यकाल के दौरान प्रार्थी का नाम करण सिंह पिता हिम्मत सिंह अंकित दर्ज है जाने के कारण हेतु प्रार्थना अन्तर्गत धारा 134 सहित पठनीय कलम के तहत पेश किया है।

इसमें मांग करने पर उपलब्ध रिकार्ड ग्राम पंचायत केवड़ा का प्रमाण पत्र शपथ पत्र श्री प्रार्थना पत्र, फोटो, शपथ पत्र एवं आधार कार्ड आदि का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का नाम करण सिंह के स्थान पर प्रतिवादी सरपंच किरण सिंह पुत्र हिम्मत सिंह पेश दर्ज किया जाना उचित है। बदलकर सरपंच किरण सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। निर्वाचन की प्रामाणिकता हेतु तहसीलदार सीमलवाड़ा को तहकीक कराकर प्रमाणित करने हेतु लिखा जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा